

न्यायालय नायव तहसीलदार भकरी मौलारा (नागौर)

राजस्थान सरकार  
जरिये पटवार हल्का खरेव  
मुकदमा नं. 28 / 2018

वहक श्री खटना  
पुत्र श्री रामा  
जाति जाट नि खरेव  
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम खरेव खसरा नम्बर 508  
रकबा 1.50 हैक्टर किसम घाही (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री खटना  
पुत्र श्री रामा जाति जाट निवासी खरेव (जिसे  
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाद लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का  
अर्न्तगत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश् जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी

जोर्टिस लाफिल के बावजूद अनुपस्थित  
रहा - अप्रार्थी के खिलाफ हलका कार्यवाही  
की जाकर -

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम खरेव  
ख.न. 508 रकबा 1.50 किसम घाही पर संवत 2075 में बिना विधिक  
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाद लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज वहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 252.91 का 50 गुणा रूपया 1875  
(रूपये आठसौ रुपये एड हजार) शास्ति  
कायम की जाती है।  
आठसौ पियसतर रूपये

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का खरेव निर्णय की  
नागौर एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।  
भु. अभिलेख निरीक्षक

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

Man

नायव तहसीलदार भकरी मौलारा (नागौर)

2018-19  
पत्रावली नं. 61  
पत्रावली नं. 1875 का 30 की